

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 46/2022

अनवान : -

1. ताराचन्द पुत्र प्रताप जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।

-प्रार्थी

बनाम्

1. सुरेन्द्र पुत्र चेताराम जाति नायक निवासी मलवानी तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

3. कृष्ण पुत्र प्रताप जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
4. दुनीराम पुत्र प्रताप जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
5. दोलाराम पुत्र प्रताप जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
6. महेन्द्रा पत्नी जोराराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
7. सुनील पुत्र जोराराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।
8. हनुमान प्रसाद पुत्र जोराराम जाति मेघवाल निवासी मलवानी तहसील नोहर।

- तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :-1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक: 21.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 146/116 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 8.0960 है0 कृषि भूमि सायल व तरतीवी गैरसायलान संख्या 3 ता 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 773/451 के कुल खसरे 6 का कुल कुल क्षेत्रफल 1.1427 है0 भूमि असल गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व तरतीवी गैरसायल अपनी कृषि भूमि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 146/116 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 8.0960 है0 कृषि भूमि मे जाने के लिए अपने गांव मलवानी से चलकर मंजूरशुदा रास्ता से होते हुए असल गैरसायल संख्या 1 के खेत प0 नं0 340/353 (80) के किला नं. 10 के मिन दक्षिण की 0.013 है0 भूमि में से होते हुए अपने खेत के प0 नं. 340/353 (80) के किला नं. 9 में प्रवेश करते है और इसी रास्ते से सदामत से आवागमन करते चले आ रहे है।



उक्त रास्ता पर काफी वर्षों से आपसी सहमति से आवागमन होता आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता मंजूर नहीं होने के कारण सायल को भारी परेशानी हो रही है इसलिए सायल असल गैरसायल संख्या 1 के खेत प0 नं0 340/353 (80) के किला नं. 10 के मिन दक्षिण की 0.013 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करवाना चाहता है तथा इस रास्ता की भूमि के बदले में सायल व तरतीवी गैरसायलान की भूमि के प0 नं. 340/353 (80) के किला नं. 9 के मिन पश्चिम की रास्ता की भूमि को छोड़कर 0.013 है0 भूमि असल गैरसायल के चिपती हुई है देने के लिए तैयार है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थीगण स0 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुबोध शर्मा ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाता है तो अप्रार्थी स0 1 को कोई एतराज नहीं है तथा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण 3 ता 8 को कोई एतराज नहीं है।


पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की उक्त रास्ता के संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहमत है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई एतराज नहीं है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त रास्ता गै0मु0 दर्ज करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजों को अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 146/116 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 8.0960 है0 कृषि भूमि सायल व तरतीवी गैरसायलान संख्या 3 ता 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 773/451 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.1427 है0 भूमि असल गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 773/451 के प0 नं0 340/253 (80) के किला नं. 10 के मिन दक्षिण की 0.013 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावे इसके बदले में सायल व तरतीवी गैरसायलान असल गैरसायल संख्या 1 को अपने खेत प0 नं. 340/353 (80) के किला नं. 9 के मिन पश्चिम की रास्ता की भूमि को छोड़कर 0.013 है0 भूमि जो असल गैरसायल संख्या 1 के चिपती हुई है देने के लिए तैयार है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को प्रतिवादी स0 1 एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 3 ता 8 द्वारा जरिये अधिवक्ता स्वीकार किया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 773/451 के प0 नं0 340/253 (80) के किला नं. 10 के मिन दक्षिण की 0.013 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे एवं रास्ते के बदले की भूमि में सायल व तरतीवी गैरसायलान असल गैरसायल संख्या 1 को अपने खेत प0 नं. 340/353 (80) के किला नं. 9 के मिन पश्चिम की रास्ता की भूमि को छोड़कर 0.013 है0 भूमि जो असल गैरसायल संख्या 1 के चिपती हुई है गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज की जावें। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक ...21.16.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023
कैम्प कोर्ट-मलवानी